



## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

21

क्रमांक— एफ2(3)लागत/1034/...../650/

दिनांक 27/11/2014

— आदेश —

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश क्रमांक एफ-7(46) नविदि/08 दिनांक 28.05.2010 के क्रम में मण्डल में संशोधित नीलामी प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है—

### 1. नीलामी पद्धतियाँ :-

नीलामी निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी भी एक पद्धति से की जा सकती है—

- (i) योजना में उपलब्ध नीलामी योग्य सम्पत्ति की मौके पर खुली नीलामी द्वारा बोली लगाकर।
- (ii) एक ही शहर में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध नीलामी योग्य सम्पत्तियों की मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित कर।

### 2. नीलामी योग्य सम्पत्तियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन :-

- (i) नीलामी कार्यक्रम सामान्यतया एक माह पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिये, किन्तु विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अनुमति से 10 दिवस पूर्व भी निर्धारित किया जा सकता है।
- (ii) नीलामी कार्यक्रम अनुमोदित होने पर तुरन्त विज्ञप्ति प्रकाशित होनी चाहिये तथा नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व संक्षिप्त विज्ञप्ति दी जानी चाहिए।
- (iii) शहर के सभी भूखण्डों एवं कॉलोनियों का नीलामी कार्यक्रम सामान्यतया एक स्थान पर ही आयोजित किया जाना चाहिये।
- (iv) नीलामी विज्ञप्ति में भूखण्ड की माप तथा उसकी स्थिति व पूर्ण विवरण को समाचार-पत्रों में दर्शाया जाना चाहिये ताकि संभावित क्रेता द्वारा सम्पत्ति की पहचान की जा सके। नीलामी की सूचना का प्रचार विज्ञापन के विभिन्न निर्धारित माध्यमों की व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिये तथा नीलामी का समय व दिनांक का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जावे।

### 3. नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति :-

राजस्थान आवासन मण्डल अपने अधिशेष आवासीय भूखण्ड एवं मकान, गुप्त हाउसिंग भूखण्ड, व्यवसायिक भूखण्ड एवं निर्मित दुकानें तथा बड़े व्यवसायिक भूखण्ड जो पेट्रोल पम्प, सिनेमाघर, होटल, संस्थानिक आदि के लिये निर्धारित होते हैं, भी नीलामी द्वारा बेचा जायेगा।

### 4. सम्पत्ति के नीलामी की प्रक्रिया:-

सम्पत्तियों की नीलामी समूह में नहीं की जाये। प्रत्येक भूखण्ड की नीलामी पृथक से बोली लगाकर की जाये। प्रत्येक आवासीय कॉलोनी में नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति का उल्लेख सम्पत्ति रजिस्टर में होना चाहिये तथा जिन इलाकों में कीमतें काफी ज्यादा चल रही है उनमें सतत प्रक्रिया के रूप में नीलामी होनी चाहिये। सभी भूखण्ड एक साथ सामान्यतः नीलामी नहीं किये जाने चाहिये। बोलीदाता एक या एक से अधिक भूखण्ड नीलामी द्वारा खरीद सकता है एवं एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्य चाहे पति-पत्नि ही क्यों नहीं हो, भूखण्ड नीलामी द्वारा खरीद सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भूखण्ड के लिये बोलीदाता/मोहरबन्द निविदादाता को अलग से अमानत राशि उस भूखण्ड की बोली प्रारम्भ होने से पूर्व जमा करानी अनिवार्य होगी। बोलीदाता नीलामी द्वारा अवयस्क के नाम से भी भूखण्ड खरीद सकता है।

— (2)

Account 7

सम्पत्ति की नीलामी की संशोधित प्रक्रिया के तहत निर्धारित गवर्नर/संशोधित नीलामी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशनीय विज्ञापित, बिड़ आवेदन पत्र, लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण, चैक स्लिप आदि के प्रारूप भी अनुपालनार्थ संलग्न हैं।

5. फर्म द्वारा नीलामी में बोली:-

यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. विज्ञापन में अंकित सूचना :-

विज्ञापन में भूखण्ड का उपयोग, आवासीय/संस्थानिक या व्यवसायिक, उसकी स्थिति, भूखण्ड का आकार, उसका क्षेत्रफल, नीलामी स्थल एवं समय तथा न्यूनतम बिड़ मूल्य का भी उल्लेख किया जाना चाहिये।

विज्ञापन सम्बन्धी जारी पूर्व परिपत्र क्रमांक एफ2(3)लागत/1034/462 दिनांक 01.12.2011 की पालना सुनिश्चित किया जावे जिसके तहत नीलामी योजना प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम 45 दिवस पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विज्ञापित जनसम्पर्क अधिकारी के पास भिजवाया जाना नियत है।

नीलामी सम्बन्धी समस्त नियमों /आदेशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही बिड़ खोली जावे अन्यथा नीलामी नियमों / आदेशों की पालना नहीं होने के कारण बिड़ निरस्तीकरण, उससे सम्बन्धित विवाद एवं व्यय यदि कोई होता है तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/समिति व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे।

7. न्यूनतम बिड़ मूल्य :-

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न खर्चों, विक्रय क्षेत्रफल एवं सेक्टर में भूखण्ड की स्थिति एवं पूर्व में विक्रित समकक्ष भूखण्ड इत्यादि की स्थिति को ध्यान में रखते हुये न्यूनतम बिड़ मूल्य का निर्धारण किया जावे।

8. नीलामी समितियों का गठन :-

नीलामी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए नीलामी समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

(1) जयपुर शहर के वृत्त-कार्यालय :-

(क) मुख्य सम्पदा प्रबन्धक अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो सम्पदा प्रबन्धक से नीचे स्तर का नहीं हों।

(ख) वित्तीय सलाहकार द्वारा नामित लेखा सदस्य जो लेखाधिकारी से नीचे स्तर का न हों।

(ग) सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त - संयोजक

यदि बोली न्यूनतम बिड़ मूल्य से ज्यादा हो तथा समिति समस्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुये उचित समझती है तो यह समिति 20.00 लाख रुपये तक की बोली मौके पर स्वीकृत कर सकती है एवं इससे अधिक बोली के प्रस्ताव मण्डल मुख्यालय पर निर्धारित प्रपत्र में मय औचित्य के सक्षम स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भिजवाये जाये।

(2) जयपुर शहर के बाहर के वृत्त-कार्यालय :-

(क) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता या उनके प्रतिनिधि जो उप आवासन आयुक्त से नीचे स्तर का नहीं हों।

(ख) सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त - संयोजक

(ग) लेखाधिकारी (वसूली)

(घ) जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि।

(3)

यदि बोली न्यूनतम बिड़ मूल्य से ज्यादा हो तथा समिति समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उचित समझती है तो यह समिति 20.00 लाख रूपये तक की बोली मौके पर स्वीकृत कर सकती है एवं इससे अधिक बोली के प्रस्ताव मण्डल मुख्यालय पर निर्धारित प्रपत्र में मय औचित्य के सक्षम स्वीकृति हेतु 07 दिवस में मुख्यालय को भिजवाये जाये।

मोहरबन्द निविदा द्वारा सम्पन्न नीलामी के प्रकारणों में निविदा खोलने एवं 20 लाख रूपये तक की स्वीकृति का कार्य भी उपरोक्तानुसार सम्बन्धित समितियों द्वारा किया जावेगा।

- 9. खुली नीलामी में नीलामी से सम्बन्धित समस्त शर्तों को नीलामी शुरु होने से पूर्व पढ़ कर सुनाया जायेगा। नीलामी परिसर यथा नीलामी हॉल अथवा टैन्ट में मोबाइल फोन पर पूर्णतया प्रतिबन्ध होगा।

10. नीलामी की शर्त :-

नीलामी की शर्त निम्नानुसार होगी:-

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड़ मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड़ मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए, 72 घन्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं कराता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर नियमन के आदेश दिए जा सकेंगे। तत्पश्चात् ही राशि जमा की जा सकेगी।
5. सफल बोलीदाता के निर्धारित अवधि में मांग राशि जमा कराने में असफल रहने पर नीलामी के स्वतः निरस्तीकरण दिनांक के पश्चात् 60 दिवस तक सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त की अनुमति से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित शेष राशि देने की दशा में बोली को नियमित किया जा सकेगा। 61 दिवस से 90 दिवस तक आवासन आयुक्त की अनुमति से बकाया राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेते हुए बोली को नियमित किया जा सकेगा एवं 91 दिवस से 120 दिवस तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेते हुए अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल की अनुमति से नियमित किया जा सकेगा।
6. ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद भूतलक्षी प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने के दिनांक से वसूलनीय होगी।
7. नीलामी के स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से 120 दिवस पश्चात् आगामी 90 दिवस में मण्डल बैठक अथवा मण्डल द्वारा अधिकृत समिति द्वारा शेष बकाया राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज के अतिरिक्त शेष बकाया राशि पर 05 प्रतिशत शास्ती जमा करवाकर नीलामी को नियमित किया जा सकेगा।
8. नीलामी के स्वतः निरस्तीकरण के 120 दिवस के पश्चात् राज्य सरकार आगामी 120 दिवस के भीतर बकाया राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज व बकाया

(4)

DCC

(4)

राशि पर 10 प्रतिशत शास्ती सहित राशि जमा करवाने पर नीलामी को नियमित कर सकेगी।

- 11. नीलामी से सम्बन्धित समस्त राशि नुकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी।
- 12. खुली बोली न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
- 13. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होने चाहिए अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावे। सीलबन्द निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जावेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अन्तिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।

मोहरबन्द निविदाओं में, अधिकतम निविदा दर एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित उन निविदा दाताओं से उसी दिन बन्द लिफाफे में पुनः निविदा दर प्राप्त की जावेगी व उच्चतम प्राप्त दर पर विचार किया जावेगा।

एक बोलीदाता एक से अधिक बोली में भी भाग ले सकेगा एवं एक ही परिवार के सदस्य चाहे पति-पत्नी ही क्यों न हो नीलामी में भाग ले सकते हैं एवं नीलामी से सम्पत्ति कय कर सकते हैं।

सम्पत्ति की नीलामी निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी :-

- (1) निर्मित दुकान:- मोहरबन्द निविदाओं से।
- (2) भूखण्ड (व्यावसायिक):- 100 वर्गमीटर तक का भूखण्ड मोहरबन्द निविदाओं से।
- (3) 100 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक भूखण्ड खुली बोली से
- (4) आवासीय भूखण्ड/आवास:- मोहरबन्द निविदा/खुली बोली से

14. नीलामी की स्वीकृति :-

नीलामी की स्वीकृति निम्नानुसार दी जा सकेगी :-

- (1) 20 लाख रुपये तक-कम संख्या 08 पर गठित नीलामी समिति।
- (2) 20 लाख रुपये से अधिक लेकिन 05 करोड़ रुपये से कम-आवासन आयुक्त।
- (3) 05 करोड़ रुपये से अधिक 20 करोड़ रुपये तक-अध्यक्ष।
- (4) 20 करोड़ रुपये से अधिक-राजस्थान आवासन मण्डल।

15. फर्म द्वारा नीलामी :-

यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबन्धी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. लीज डीड में नाम परिवर्तन :-

बोलीदाता यदि परिवार के अन्य सदस्य के नाम से लीज डीड बनवाना चाहता है तो यह परिवर्तन भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के 30 दिवस में 10,000/- रुपये शुल्क देकर परिवर्तन करा सकता है।

5  
Account

परिवार की परिभाषा :- परिवार में पति/पत्नी, माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री और कानूनी रूप से दत्तक अवयस्क पुत्र / अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे।

17. त्रि-पक्षीय अनुबन्ध :-

अगर आवेन्टी मण्डल की सम्पूर्ण राशि जमा कराने हेतु किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर चुकाना चाहता है तो मण्डल को त्रि-पक्षीय अनुबन्ध के लिये अनुरोध कर सकता है। उप आवासन आयुक्त की अनुमति से त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया जा सकेगा। आवासन मण्डल बिना कारण बताये त्रिपक्षीय अनुबन्ध के लिए इन्कार भी कर सकता है।

18. भूखण्ड पर कब्जा हस्तान्तरण :-

मांग राशि सम्पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् मण्डल 15 दिवस में भूखण्ड का आवश्यक रूप से कब्जा सम्भला देगा।

19. लीज अवधि राशि एवं लीज राशि :-

भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीजहोल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। आवासीय भूखण्डों के मामलों में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) वार्षिक एवं व्यावसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर लीज 5 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड की प्रचलित आरक्षित दर पर देय होगी। व्यावसायिक एवं संस्थानिक भूखण्डों पर प्रथम पाँच वर्ष तक वार्षिक लीज राशि आधी दर से देय होगी। आवेदन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है।

20. आवासीय व व्यावसायिक/संस्थानिक भूखण्ड व निर्मित दुकानें जहाँ है जैसा है के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जावेगी, उसके हटाने का खर्चा स्वयं क्रेता वहन करेगा। इस बाबत कोई शर्त मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगी।

21. भूखण्ड का पंजीयन :-

विक्रय किए भूखण्ड की लीज डीड उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा सम्बन्धित क्रेता के पक्ष में सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा होने के 30 दिवस में करवाना अनिवार्य होगी।

22. भूखण्ड पर निर्माण :-

क्रय किये गये भूखण्ड लीजडीड जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य करवाने पर नियमानुसार शास्ति जमा कराने के पश्चात् आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य करवाना अनिवार्य होगा अर्थात् यदि भूखण्ड कय करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि में पूरा निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवेदन निरस्त माना जावेगा एवं राजस्थान आवासन मण्डल उस भूखण्ड को भार मुक्त मानते हुए कब्जा ले सकेगा एवं आवेटी अथवा बोलीदाता द्वारा जमा करायी गई राशि राजस्थान आवासन मण्डल के हक में जब्त की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार कराना होगा तथा शहरी निकाय के प्रचलित भवन निर्माण विधियों के मान दण्डों का ध्यान रखा जायेगा। निरस्तीकरण एवं भूखण्ड जब्ती की अपील

(-6)  
DCC

राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय की राजस्थान आवासन मण्डल पर बाध्यता होगी।

23. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल का निर्णय अंतिम होगा, किन्तु जहाँ राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी प्राप्त की जावेगी। बोर्ड के निर्णय की निगरानी राज्य सरकार में प्रस्तुत की जा सकेगी।

यह कार्यालय आदेश इस विषय में जारी पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1034/180 दिनांक 14.8.2007 के अतिक्रमण में जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नीलामी से सम्बन्धित जो भी परिपत्र / कार्यालय आदेश मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हैं उनकी पालना भी सुनिश्चित की जावे। भविष्य में उपरोक्तानुसार ही नीलामी प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाये। अवहेलना, समय पर सूचना नहीं भेजने एवं अपूर्ण व गलत सूचना भेजने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जावेगी।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : F-2(03)084/656  
3-28/01/2014

- 1- प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार/अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 4- अति.मु. अभियन्ता, प्रथम/तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा.आ.म., जयपुर।
- 5- अति.मु. अभियन्ता, द्वितीय, रा.आ.म., जोधपुर/OSD/CEM/जयपुर।
- 6- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-I/II/III, जयपुर/जोधपुर -I/II/ उदयपुर/कोटा/अलवर/ बीकानेर।
- 7- संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ), रा.आ.म., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर Up-load करें।
- 8- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII, रा.आ.म., जयपुर /PHE-I/II, जयपुर/जोधपुर-I/II/III/ उदयपुर-I/II/विद्युत खण्ड,जयपुर/अजमेर/मिवाड़ी/भरतपुर/झुन्डू/डुंगरपुर/जैसलमेर/नागौर/बीकानेर/कोटा/अलवर/पाली/बारां/दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौड़गढ़।
- 9- सहायक लेखाधिकारी वृत्त- I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I/II/उदयपुर/कोटा/अलवर/ बीकानेर।
- 10- सम्बन्धित पत्रावली।
- 11- रक्षित फाईल।

शेखर 08 निराला, कमल शर्मा, वित्तीय सलाहकार  
अति.मु. 25/1/2014